

17/8/16 वक्र. ए. फरी. उप०। वादी द्वारा भौजा जालिया ॥ स्थित

विवादित आराजी ख. नं. 3686 खप्पा. 10-10-00 बीघा के लिए
अखिलानामा दिनांक 13-02-2004 के आधार पर लाया गया बाद
स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से सर्वय निरस्त किया जाता
है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 5 द्वारा प्रकृत कांड-22
क्लैम बाबत विवादित आराजी के बटव उनके विरुद्ध वादी
वास्ते शर्त निवेदाणा स्वीकार योग्य पाये जाने से स्वीकार
किया जाता है और बटव प्रतिवादी 1 व 5 डिकी किया
जाता है। विस्तृत निर्णय और द्वारा प्रकृत से शर्त करवाया
जाकर न्यायालय मोटर एवं और हस्ताक्षर से शर्त किया गया
मिसल फॉर्मल नुमां लेकर नुमां से कम है। बाद दफतर
दाखिल है।

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

